डीजी परिपत्र सं0–33 /2026

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक– जुलाई 07 ,2026

विषय– मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त थानों में स्थापित "मिशन शक्ति केन्द्र" के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला पीड़िता के आगमन से लेकर उसके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त होने तक 360 डिग्री काउन्सलिंग, मार्गदर्शन, सहयोग और संरक्षण सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की गयी है। मिशन शक्ति केन्द्र के सफल संचालन हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गयी है, जिसके अनुपालन हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। मिशन शक्ति केन्द्रों के नोडल अधिकारियों व मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त कर्मियों के साथ समीक्षा बैठकों एवं मिशन शक्ति केन्द्रों के मुख्यालय द्वारा कराये गये औचक निरीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि जमीनी स्तर पर केन्द्रों के सुचारू रूप से कार्य करने में अभी भी समस्यायें आ रही हैं एवं पीड़िताओं हेतु 360 डिग्री सेवाओं को उपलब्ध कराने में चुनौतियाँ आ रही हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत एवं मिशन शक्ति केन्द्रों के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

अवसंरचनात्मक संसाधन–

- कतिपय मिशन शक्ति केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हैं या खराब हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध/सही कराया जाय। संचालन हेतु कम्प्यूटर भिज्ञ मुख्य आरक्षी/आरक्षी नियुक्त किये जायें जिससे मिशन शक्ति केन्द्र पर डेटा फीडिंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
- कुछ केन्द्रों पर नेटवर्क व बिजली की समस्यायें पाई गयी हैं, उन केन्द्रों पर इण्टरनेट व इन्वर्टर /जनरेटर की तत्काल व्यवस्था की जाय।
- मिशन शक्ति केन्द्र पर वाहन उपलब्ध न होने के कारण कर्मियों को बीट भ्रमण व पीड़िताओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने में काफी कठिनाई आ रही है। अतः आवश्यकतानुसार थाने की द्वितीय मोबाइल (अतिरिक्त चार पहिया वाहन) बीट भ्रमण एवं पीड़िताओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों में उपलब्ध कराया जाय।

मानव संसाधन–

- ऐसा देखा गया है कि कतिपय मिशन शक्ति केन्द्रों पर मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति नहीं है, यह स्थिति आपत्तिजनक है। प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र पर स्थायी मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति की जाय। यदि उनका स्थानान्तरण किया जाय तो उसी गस्ती में उनका स्थान लेने वाले नये प्रभारी की नियुक्ति भी की जाय। यही व्यवस्था मिशन शक्ति केन्द्र के अन्य कर्मियों पर भी लागू होगी।
- जिन मिशन शक्ति केन्द्रों पर जनशक्ति कम है, एसओपी के अनुसार (प्रभारी सहित कम से कम 07 व अधिकतम 22 होनी चाहिये) पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाय।
- मिशन शक्ति केन्द्रों पर नियुक्त कर्मियों की प्रायः अन्यत्र ड्यूटी लगा दी जाती है, यह स्थिति किसी भी रूप में उचित नहीं है इससे मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना का मूल उद्देश्य 360 डिग्री सहायता, काउन्सलिंग, मार्गदर्शन, सहयोग और संरक्षण सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने का कार्य नकारात्मक रूप से

प्रभावित हो रहा है। अतः किसी भी स्थिति में अपरिहार्य स्थिति को छोडकर मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की अन्यत्र ड्यूटी न लगायी जाय, यदि अपरिहार्य स्थिति में ड्यूटी लगायी जाती है तो मिशन शक्ति केन्द्र पर कम से कम 04 पुलिस कर्मी (जिसमें 02 महिला कर्मी अवश्य होगीं) प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध रहेंगे।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता–

- मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त कर्मियों को i-Got पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाय तथा मिशन शक्ति केन्द्र पर एसओपी बुकलेट सहित समस्त दिशा–निर्देश अवश्य उपलब्ध रहे।
- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी व बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किया जाय, जिसमें पीड़ित बालिकाओं के प्रत्येक प्रकरण पर चर्चा की जाय एवं प्रकरणों में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु कार्ययोजना विकसित की जाय।

पर्यवेक्षण–

- मिशन शक्ति केन्द्रों का जनपदीय पुलिस प्रभारी/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा एसओपी के अनुरूप नियमित पर्यवेक्षण किया जाय तथा यह देखा जाय कि पोर्टल पर सभी सूचनाऐं नियमित व सही ढंग से फीड हो व फॉलोअप फीडबैक की कार्यवाही समय से हो।
- मिशन शक्ति केन्द्रों पर पूर्व से प्रचलित कुल 08 रजिस्टरों (1.महिला हेल्प डेस्क प्रा0पत्र रजि0, 2. काउन्सलिंग रजि0, 3.एण्टी रोमियो स्क्वाड रजि0, 4.महिला बीट रजि0, 5.निरीक्षण पुस्तिका, 6.प्रथम सूचना रिपोर्ट रजि0, 7.निरोधात्मक कार्यवाही रजि0, 8.फीडबैक/फालोअप रजि0) को बन्द कर दिया जाय। मिशन शक्ति केन्द्र लॉगिन पर पूर्व से प्रचलित 08 रजिस्टरों को समाहित करते हुये 04 प्रारूप बनाये गये हैं, जिनके आकड़े अब ऑनलाइन मिशन शक्ति पोर्टल पर ही अपलोड किया जाय।
- जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा मिशन शक्ति केन्द्रों की जेण्डर संवेदनशीलता, किशोर न्याय एवं पॉक्सो अधिनियमों सहित महिलाओं व बालिकाओं के संरक्षण आधारित विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।
- मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा बीट पुलिस कर्मियों की सहायता से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, बचाव एवं उपरोक्त प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी को आम जनमानस में जागरूकता शिविर के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित किया जाय।

पुनर्वास सेवायें–

- प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र पर महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास हेतु कार्यरत विभिन्न इकाईयों एवं विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु सम्पर्क सूची चस्पा की जायेगी। प्रमुख विभाग व इकाईयां जैसे महिला हेल्पलाइन, 181, वनस्टॉप सेन्टर, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्प लाइन, चिकित्साधिकारी, जिला मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए0एच0टी0 थानों एवं विशेष किशोर पुलिस इकाईयों के सम्पर्क नम्बर सम्मिलित होंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।